जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा

(स्थापना शाखा)

आदेश

श्री जॉन जोसेफ बेंजामिन तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा दिनांक 31.03.2017 को सेवानिवृत होने वाले हैं। श्री तिर्की अपने अधिसूचित पद के अतरिक्त प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, चाईबासा एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, चाईबासा के अतिरिक्त प्रभार में है।

लोकहित एवं कार्यहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यो के अतिरिक्त उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय/विभाग का प्रभार आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम(ए)	आवंटित अतिरिक्त प्रभार(बी)
01.	श्री संदीप बक्शी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प० सिंहभूम, चाईबासा।	जिला योजना पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा।
02.	श्री विनय मनीष आर लकड़ा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चकधरपुर।	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, चाईबासा।
03.	श्री प्रदीप कुमार चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, प० सिंहभूम, चाईबासा।

श्री जॉन जोसेफ बेंजामिन तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा को निदेश दिया जाता है कि स्तम्भ–ए में नामित पदाधिकारियों को स्तम्भ–बी का प्रभार दिनांक 31.03.2017 तक सौंपना सुनिश्चित करेंगें।

श्री संदीप बक्शी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प० सिंहभूम, चाईबासा एवं श्री विनय मनीष आर लकड़ा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चकधरपुर को झारखण्ड कोषागार संहिता– 2016 के नियम 87 एवं वित्त नियमावली–I के नियम 110(3) के तहत् उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय के आकस्मिक विपत्रों एवं अन्य दायित्व जो इस पद पर कार्यरत रहते निर्वहन आवश्यक है, पर हस्ताक्षर तथा निकासी हेतु वित्तीय शक्ति प्रदान की जाती है।

श्री रवि कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, चाईबासा, जिला गोपनीय शाखा, चाईबासा के सहायक प्रभारी के तौर पर कार्य करते रहेंगें।

विदित हो कि झारखण्ड सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना है, जिसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ सभी वर्गो को प्राप्त हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में कई कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाएं संचालित किये जा रहे है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की इन योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य मे कई जिला मे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर विशेष कार्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिपथ मे रखते हुए इस जिला मे भी विशेष कार्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का अनुश्रवण किसी एक विशेष कार्य पदाधिकारी को केन्द्रविन्दु पर रखकर कर पाना सम्भव नही है। तदनुसार कार्यहित एवं लोकहित मे तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से तीन विशेष कार्य पदाधिकारियों की व्यवस्था की जाती है,जो इनको सौंपे गये कार्यो के सम्बन्ध मे सारी जानकारियाँ एवं संदर्भित प्रतिवेदन आदि सीधे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान मे लायेंगे।

उक्त के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक तत्कालिक प्रभाव से प्रतिनियुक्त किया जाता है:—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	आवंटित अतिरिक्त प्रभार	कार्य
01.	श्री प्रदीप कुमार चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा।	1.विशेष कार्य पदाधिकारी (General)	नित–प्रतिदिन प्रशासन में आने वाले मामलों का त्वरित निष्पादन करने की दिशा में कार्यो का सम्पादन करना।
02.	श्री अमित कुमार, निदेशक, डी० आर० डी० ए०, प० सिंहभूम, चाईबासा।	2.विशेष कार्य पदाधिकारी (Flagship)	सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मामले एवं आकस्मिक मामले यथा माननीय मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम एवं विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों एवं उनकी गतिविधियों आदि कार्यो का सम्पादन। साथ ही साथ मुख्य सचिव,झारखण्ड सरकार द्वारा दिये विशेष निर्देशो का अनुपालन करना।
03.	श्री सुशील कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा।	3.विशेष कार्य पदाधिकारी (I.T)	सूचना एवं प्रोद्योगिकी से संबंधित सभी मामले का त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

ज्ञापांक 277(वि)/स्था0 दिनांक 27.03.2017

प्रतिलिपिः— श्री संदीप बक्शी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प० सिंहभूम, चाईबासा/श्री प्रदीप कुमार चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा/श्री अमित कुमार, निदेशक, डी० आर० डी० ए०, प० सिंहभूम, चाईबासा/श्री विनय मनीष आर लकड़ा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चकधरपुर/श्री सुशील कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला योजना पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० सिंहभूम चाईबासा/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, चाईबासा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, प० सिंहभूम, चाईबासा/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प० सिंहभूम चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा/पोड़हाट, चकधरपुर एवं जगन्नाथपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/उप विकास आयुक्त , पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प० सिंहभूम चाईबासा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि इसे जिला के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः— आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 27/3/17
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा